न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी– मुरलीधर प्रतिहार (आर.ए.एस.)

अपील संख्या– 2025/169

1. शांतिलाल पुत्र उच्छबलाल जाति महाजन निवासी ग्राम बांसी तहसील नैनवां जिला बून्दी राज.
2. शंभूदयाल पुत्र उच्छबलाल जाति महाजन निवासी ग्राम बांसी तहसील नैनवां जिला बून्दी राज.
3. कैलाशचंद पुत्र उच्छबलाल जाति महाजन निवासी ग्राम बांसी तहसील नैनवां जिला बून्दी राज.
4. कमल कुमार पुत्र उच्छबलाल जाति महाजन निवासी ग्राम बांसी तहसील नैनवां जिला बून्दी राज.
5. शांति बाई पुत्री उच्छबलाल जाति महाजन निवासी ग्राम बांसी तहसील नैनवां जिला बून्दी राज. हाल पत्नि रमेशचंद जाति महाजन निवासी करवर जिला बून्दी राज.
6. कलावती पुत्र उच्छबलाल जाति महाजन निवासी ग्राम बांसी तहसील नैनवां जिला बून्दी राज. हाल पत्नि स्व. बिरधीचंद जाति महाजन निवासी देई जिला बून्दी
7. कमलेश बाई पुत्री उच्चबलाल जाति महाजन निवासी ग्राम बांसी तहसील नैनवां जिला बून्दी राज. हाल पत्नि चन्द्रमोहन जाति महाजन निवासी गांधीपुरा लाखेरी जिला बून्दी

–अपीलांटगण

बनाम

1. महेन्द्र कुमार पुत्र अमोलकचंद जाति महाजन निवासी ग्राम बांसी तहसील नैनवां जिला बून्दी राज.
2. गोपाल पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति महाजन निवासी ग्राम बांसी तहसील नैनवां जिला बून्दी राज. मृतक जरिये कायम मुकामान–

   2/1 कंचन बाई पत्नि गोपाल जाति महाजन निवासी ग्राम बांसी तहसील नैनवां जिला बून्दी राज.

   2/2 मनोहर बाई पत्नि गोपाल पत्नि सागरमल जाति महाजन निवासी ग्राम बांसी तहसील नैनवां जिला बून्दी राज.

   2/3 लालंचद पुत्र गोपाल जाति महाजन निवासी ग्राम बांसी तहसील नैनवां जिला बून्दी राज.

   2/4 उमिला पुत्री गोपाल पत्नि सन्तुकुमार जाति महाजन निवासी ग्राम बांसी तहसील नैनवां जिला बून्दी राज.

   2/5 निमला पुत्री गोपाल पत्नि अभयकुमार जाति महाजन निवासी रंगबाड़ी तहसील लाडपुरा जिला कोटा

2/6 पारस कुमार पुत्र गोपाल जाति महाजन निवासी ग्राम बांसी तहसील नैनवां जिला बून्दी राज.
2/7 त्रिलोक कुमार पुत्र गोपाल जाति महाजन निवासी ग्राम बांसी तहसील नैनवां जिला बून्दी राज.
2/8 पवन कुमार पुत्र गोपाल जाति महाजन निवासी ग्राम बांसी तहसील नैनवां जिला बून्दी राज.

3. दुर्गाशंकर पुत्र नन्दकिशोर जाति काछी निवासी ग्राम बांसी तहसील नैनवां जिला बून्दी राज.
4. शांति बाई बालिग पुत्री नंदकिशोर जाति काछी निवासी ग्राम बांसी तहसील नैनवां जिला बून्दी राज. हाल पत्नि गिरिराज काछी निवासी ग्राम सनावदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज.
5. योगेश कुमार पुत्र मानमल जाति महाजन निवासी ग्राम बांसी तहसील नैनवां जिला बून्दी राज.
6. प्रदीप कुमार पुत्र मानमल जाति महाजन निवासी ग्राम बांसी तहसील नैनवां जिला बून्दी राज.
7. भूमिधारी राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार नैनवां, जिला बून्दी राज.

——रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहसः—

1. श्री राजकुमार गौतम, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री रणवीर सिंह आसोलिया, अभिभाषक, रेस्पो. 1, 2/1, 2/3 से 2/8, 4 से 6 की ओर से।

निर्णय **दिनांकः 31.07.2025**

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवां जिला बून्दी के प्रकरण संख्या 105/2020 (2020/00203) में पारित निर्णय दिनांक 22.05.2025 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण रेस्पो0 सं0 01 लगायत 6 ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 251—क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम बांसी पटवार मण्डल बांसी की जमाबन्दी सम्बत् 2072 से 2075 के खाता संख्या 443 के अनुसार खसरा संख्या 219 रकबा 08 बीघा, खसरा संख्या 219/3589 रकबा 03 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 11 बीघा भूमि स्थित है जो प्रार्थी संख्या 1 महेन्द्र कुमार के अकेले के खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि है। ग्राम बांसी पटवार मण्डल बांसी तहसील नैनवां की जमाबन्दी सम्बत् 2072 से 2075 के खाता संख्या

121 के अनुसार खसरा संख्या 214 रकबा 08 बीघा, खसरा संख्या 214/3591 रकबा 04 बीघा 10 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 12 बीघा 10 बिस्वा भूमि स्थित है जो प्रार्थी संख्या 2 गोपाल के अकेले के खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि है। ग्राम बांसी पटवार मण्डल बांसी तहसील नैनवां की जमाबन्दी सम्बत् 2072 से 2075 के खाता संख्या 251 के अनुसार खसरा संख्या 212 रकबा 07 बीघा 19 बिस्वा, खसरा संख्या 212/3588 रकबा 04 बीघा 18 बिस्वा एवं खसरा संख्या 212/3615 रकबा 01 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 12 बीघा 18 बिस्वा भूमि स्थित है जो प्रार्थीगण संख्या 3 लगायत 6 के संयुक्त खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि है। ग्राम बांसी पटवार मण्डल बांसी की जमाबन्दी सम्बत् 2072 से 2075 के खाता संख्या 1 के अनुसार खसरा संख्या 3642/221 रकबा 01 बीघा 01 बिस्वा कुल किता 1 कुल रकबा 01 बीघा 01 बिस्वा किस्म बंजड़ स्थित है उक्त भूमि राजकीय झाड़ झंझाड़ वाले वन (चरागाह) भूमि है जिसका एक मात्र स्वामी राजस्थान सरकार द्वारा श्रीमान तहसीलदार साहब नैनवां है। ग्राम बांसी पटवार मण्डल बांसी की जमाबन्दी सम्बत् 2072 से 2075 के खाता संख्या 831 के अनुसार खसरा संख्या 217 रकबा 10 बीघा 12 बिस्वा कुल किता 1 कुल रकबा 10 बीघा 12 बिस्वा भूमि स्थित है जो अप्रार्थीगण 1 लगायत 7 के संयुक्त खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 लगायत 3 में वर्णित कृषि भूमियों में जाने का एकमात्र रास्ता बांसी से भण्डेडा जाने वाले ग्रेवल सडक खसरा संख्या 222 के पश्चिमी ओर प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 4 में वर्णित खसरा संख्या 3742/221 में होता हुआ खसरा संख्या 217 के उत्तरी मेड के सहारे सहारे खसरा संख्या 214/3591, 219 व 214 की मेड़ के दोनों ओर 15 फीट चौड़ा, पूर्व पश्चिम सम्पूर्ण लम्बाई में खसरा संख्या 212/3615 तक पहुंचता है जिससे प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नक्सा परिशिष्ट "अ" में लाल स्याही से ए टू बी भाग के रूप में दर्शाया गया है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण की भूमि पर पहुंचने का अन्य कोई रास्ता मौजूद नहीं है। प्रार्थीगण का रास्ता बांसी से भण्डेडा जाने वाले ग्रेवल सडक खसरा संख्या 222 के पश्चिमी ओर खसरा संख्या 3742/221 सरकारी भूमि के होता हुआ, खसरा संख्या 217 की उत्तरी मेड़ के सहारे सहारे खसरा संख्या 214/3591, 219 व 214 की मेड़ के दोनों ओर 15 फीट चौड़ा पूर्व पश्चिम सम्पूर्ण लम्बाई में खसरा संख्या 212/3615 तक पहुंचने का रास्ता ही एक मात्र रास्ता है जिसका राजस्व रिकार्ड में रास्ते का अंकन होना न्यायहित में अत्यन्त आवश्यक है। जिसके लिये प्रार्थीगण खसरा संख्या 3742/221, 217, 214/3591, 219 व 214 के खातेदारान प्रतिवादीगण को भूमिधारी राजस्थान राज्य द्वारा श्रीमान तहसीलदार साहब, नैनवां के माध्यम से राजकोष में न्यायालय श्रीमान के आदेशानुसार कीमत अदा करने को तैयार है । प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 7 में अंकित रास्ते का अंकन राजस्व रिकार्ड में नहीं किया गया तो प्रार्थीगण को अपार एवं अपूरणीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति नकद के रूप में कदापि संभव नहीं होगी तथा प्रार्थीगण को अपने खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य कब्जे कृषित की भूमियों पर पहुंचने से वंचित होना पड़ेगा । वादग्रस्त भूमि ग्राम बांसी तहसील नैनवां में स्थित होने से तथा मामला धारा 251 (क) राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के अधीन होने से न्यायालय श्रीमान को प्रार्थना पत्र के श्रवण संबंधी श्रवणाधिकार एवं क्षेत्र संबंधी क्षेत्राधिकार प्राप्त है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीगण के पक्ष में एवं अप्रार्थीगण के विरूद्ध निम्न

आशय की डिक्री प्रदान की जावे–1. यह कि प्रार्थीगण का रास्ता बांसी से भण्डेडा जाने वाले ग्रेवल सडक खसरा संख्या 222 के पश्चिमी ओर खसरा संख्या 3742/221 सरकारी भूमि के होता हुआ, खसरा संख्या 217 की उत्तरी मेड़ के सहारे सहारे खसरा संख्या 214/3591, 219 व 214 की मेड़ के दोनों ओर 15 फीट चौड़ा, पूर्व पश्चिम सम्पूर्ण लम्बाई में खसरा संख्या 212/3615 तक पहुंचने का रास्ता ही एक मात्र रास्ता है जिसको प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न नजरी नक्से में लाल स्याही से दर्शाया गया है का अंकन राजस्व रिकार्ड व राजस्व नक्शे में कीमतन दर्ज किया जावे साथ ही अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जावे कि वे प्रार्थीगण को रास्ते की भूमि में होकर आने जाने में किसी प्रकार की बाधा स्वयं उपस्थित नहीं करे और ऐसा कार्य किसी अन्य से भी नहीं करावे।

3. उक्त आशय का प्रार्थना–पत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 22.05.2025 के द्वारा प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण की खातेदारी की भूमि में आने जाने हेतु रास्ता व अपीलांटगण की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 3642/221, 217, 214/3591, 214 एवं 219 में कायम किए जाने का निर्णय पारित किया।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.05.2025 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.05.2025 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.05.2025 निरस्त किया जावे ।

5. अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्ट संख्या 3 तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2/1, 2/3 लगायत 2/8, 4 लगायत 6 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। शेष रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

6. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मेमों में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि हुक्म जेर अपील कानून न्याय एवं तथ्यों के सर्वथा विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित विशेष आपत्तियों की चरण कम 1 लगायत 7 में वर्णित तथ्यो का ध्यान पूर्वक अवलोकन नहीं किया। रेस्पो./अप्रार्थीगण के मौके पर आने जाने के एवं कृषि उपकरण लाने ले जाने के वैकल्पिक रास्ते उपलब्ध होने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटिपूर्ण आदेश दिनांक 22-05-2025 को पारित कर दिया हैं, जो निरस्त किये जाने योग्य हैं। अधीनस्थ न्यायालय

ने रेस्पो./प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का ध्यान पूर्वक अवलोकन नहीं किया है। इस प्रार्थना पत्र में रेस्पो. ने चरण क्रम 6 में 15 फीट चौड़ा रास्ता मौके पर होने का अभिवचन किया है जबकि धारा 251ए काश्तकारी अधिनियम में भूमि अवाप्त करके नवीन रास्ता दिया जाता है। इस तथ्य पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं कर त्रुटिपूर्ण आदेश दिनांक 22.05.2025 को पारित कर दिया है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए में मेड पर होकर रास्ता उपलब्ध कराया जाता है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटगण की भूमि ख.स. 217 में ही पूर्ण रास्ता दिये जाने के आदेश पारित कर दिये है जबकि उक्त ख.स. 217 के उत्तरी ओर भूमि ख.स. 220 ग्राम बांसी है, इस भूमि के खातेदार विमला पुत्री भंवरलाल, काली बेवा भंवरलाल, ग्यारसी बाई पत्नि गोपाल, छोटी पत्नि दुर्गालाल, दुर्गा, गोपाल, मोहन पिता चन्द्रा, श्रवणी, भंवरी, नौसर, नोत्या पुत्रीयां चन्द्रा कौम माली साकिन देह खातेदार है। अधीनस्थ न्यायालय को भूमि ख.स. 217 व 220 के बीच की मेड पर रास्ता दिये जाने का आदेश पारित करना चाहिए था। इस आदेश में आधी भूमि ख.स. 217 की रास्ते के लिए दी जानी चाहिए थी तथा शेष आधी भूमि ख.स. 220 भी रास्ते के लिए दी जानी चाहिए थी। यह रास्ता सीधा प्रार्थीगण की भूमि पर जाता है, इस कारण भी ख.स. 220 ग्राम बांसी के खातेदारान् को पक्षकार नहीं बनाये जाने एवं मेड पर दोनो ओर की भूमि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रास्ते हेतु उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.05.25 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थी/रेस्पो. ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित चरण क्रम 4 में भूमि ख.स. 3642/221 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा भूमि राजकीय झाड़ झंझाड़ वाले वन (चारागाह) भूमि होने का अकंन किया है। नियमानुसार चारागाह भूमि से कोई रास्ता दिये जाने का प्रावधान नहीं है जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.05.25 में ख.स. 3642/221 से होकर रास्ता दिये जाने का आदेश पारित किया है, जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटगण ने दिनांक 22.05.25 को तहसील नैंनवा से तलब की गयी मौका रिपोर्ट को निरस्त कर नवीन मौका रिपोर्ट जवाब प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत तथ्यो के बाबत् स्पष्टीकरण अंकित करते हुए तलब करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटस् के इस प्रार्थना पत्र पर कोई सुनवाई नहीं की और अपीलांटस् के प्रार्थना पत्र का निस्तारण किये बिना ही प्रकरण में उक्त तिथि को ही अंतिम निर्णय पारित कर दिया गया है, जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय को अपीलांटगण की भूमि ख.स. 217 की मेड के उत्तरी ओर की भूमि ख.स. 220 में से भी रास्ता दिये जाने का आदेश पारित करना चाहिए था। यह रास्ता सीधा रेस्पो. प्रार्थी महेन्द्र की खातेदारी की भूमि ख.स. 219 में जाता है। मेड के दोनो ओर की भूमि रास्ते हेतु नहीं दिये जाने से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 22.05.2025 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त होने योग्य है। अन्त में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी महोदय, नैंनवा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.05.2025 निरस्त किए जाने का निवेदन किया।

7. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2/1, 2/3 से 2/8, 4 से 6 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने जो रास्ता अपीलांट की भूमि में कायम किया है वह रास्ता प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी की भूमि में आने–जाने हेतु एकमात्र रास्ता है। इसके अलावा कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण की भूमि में आने जाने हेतु मौके पर विद्यमान नहीं है। प्रश्नगत रास्ता प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण की आत्यांतिक आवश्यकता का रास्ता है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांटगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए है। अपीलांटगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है। अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों, दस्तोवजी साक्ष्यों का भलीं भांति अवलोकन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षकारान की बहस सुनी जाकर गुणावगुण पर निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.02.2023 विधि सम्मत है तथा इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खाारिज किए जाने योग्य है। अन्त में अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.05. 2025 यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

8. हमने उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रालवी के साथ संलग्न सभी दस्तावेजों का अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रश्नगत प्रार्थना–पत्र में प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण द्वारा स्वयं के खाते दर्ज खसरा नम्बर 219, 219/3589, 214, 214/3591, 212, 212/3588, 212/3615 में आने जाने हेतु रास्ता कायम किए जाने का अनुतोष चाहा है। प्रार्थना–पत्र की चरण संख्या 6 के अनुसार प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण द्वारा अपने खाते की भूमि में आने जाने हेतु प्रश्नगत रास्ता ग्रेवल सड़क खसरा संख्या 222 के पश्चिम की ओर खसरा संख्या 3742/221 में होता हुआ खसरा संख्या 217 की उत्तरी मेड़ के सहारे, खसरा संख्या 214/3591, 219 व 214 की मेड़ के दोनो ओर 15 फीट चौड़ा, पूर्व पश्चिम लम्बाई में खसरा संख्या 212/3615 तक पंहुचने का अंकन किया है तथा विवादित रास्ते को प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न नक्शा परिशिष्ट "अ" में लाल स्याही से ए टू बी भाग के रूप में दर्शाया गया है। नक्शा परिशिष्ट "अ" के अनुसार विवादित रास्ता खसरा संख्या 220 व 217 की मेढ़ पर विद्यमान होने का अंकन है। अतः ऐसी स्थिति में विवादित रास्ते की मोका स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए खसरा नम्बर 220 के खातेदारान को पक्षकार कायम किया जाना आवश्यक था। परन्तु प्रार्थीगण अपीलांटगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रश्नगत प्रार्थना–पत्र में केवल खसरा नम्बर 217 के खातेदारान को ही पक्षकार कायम किया गया है। नक्शा परिशिष्ट "अ" में प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण द्वारा अंकित रास्ता

सीधा नहीं होकर घुमावदार रास्ता होना प्रकट होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित रास्ते की मोका रिपोर्ट तलब की गई है। उक्त मोका रिपोर्ट दिनांक 22.02.2024 को पटवारी हल्का व भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा दिनांक 22.02.2024 को तैयार की गई है जो तहसीलदार नैनवां द्वारा अपने पत्र क्रमांक 28 दिनांक 29.01.2024 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रेषित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 15.05.2025 में मोका रिपोर्ट प्राप्त होने का अंकन है। राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(क) को प्रभाव देने के लिए बनाए गए नियम 69 के प्रावधानों के अनुसार उपखण्ड अधिकारी या तो स्वयं स्थल का निरीक्षण करेगा या किसी अधिकारी द्वारा जो भू–अभिलेख निरीक्षक पद से नीचे का नहीं होगा, से निरीक्षण करवायेगा तथा प्रभावित व्यक्तियों की आपत्ति आमंन्त्रित करेगा। उक्त मोका रिपोर्ट दिनांक 22.02.2024 एवं नजरी नक्शे में अपीलांटगण के खाते की खसरा नम्बर 217, 214/3591, 214 की उत्तरी मेंढ़ पर रास्ता होने का अंकन किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में उक्त मोका रिपोर्ट के अनुसार अपीलांटगण के खाते की भूमि में रास्ता कायम किया जाना प्रस्तावित होने से अपीलांटगण के प्रभावित व्यक्ति होने के कारण राजस्थान काश्तकारी सरकारी नियम 1955 के नियम 69 के अनुसार उक्त मोका रिपोर्ट दिनांक 22.02.2024 पर अपीलांटगण को आपत्ति प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाना कानूनन आवश्यक था। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 15.05.2025 में मोका रिपोर्ट दिनांक 22.02.2024 पर आपत्ति प्रस्तुत किए जाने का कोई आदेश भी अंकित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अपीलांटगण द्वारा उक्त मोका रिपोर्ट दिनांक 22.02.2024 पर आपत्ति प्रकट किए जाने बाबत कोई प्रार्थना–पत्र भी संलग्न नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात अपीलांटगण को उक्त मोका रिपोर्ट दिनांक 22.02.2024 पर आपत्ति प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान किए बिना सीधे ही पत्रावली वास्ते बहस नियत कर दी गई। अतः हमारे मत में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी(सरकारी) नियम 1955 के नियम 69 की पालना किए बिना ही प्रश्नगत निर्णय दिनांक 29.05.2025 पारित किया गया है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किए जाने योग्य है। हमारे मत में अपीलांटगण को विवादित रास्ते की मोका रिपोर्ट दिनांक 22.02.2024 पर आपत्ति प्रकट करने का समुचित अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक है। अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

9. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवां जिला बून्दी के प्रकरण संख्या 105/2020 (2020/00203) में पारित निर्णय दिनांक 22.05.2025 निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह खसरा नम्बर 220 के खातेदारान को प्रकरण में पक्षकार कायम करते हुए विवादित रास्ते की मोका रिपोर्ट तलब करें। उभयपक्षकारान को मोका रिर्पोट पर आपत्ति प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करें। प्रस्तुत की गइ आपत्तियों का नियमानुसार निस्तारण करते हुए

राजस्थान काश्तकारी(सरकारी) नियम 1955 के नियम 68 से 70 की पालना करते हुए नवीन निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 15.09.2025 को स्वयं उपस्थित रहें।

10. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटाई जावे।

11. निर्णय आज दिनांक 31.07.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

31/7/25

(सुरवीर प्रतिहारी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा